

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/2013/ 517

दिनांक : 20/9/2013

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
सचिवालय, जयपुर।

विषय : जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग की विज्ञप्ति क्रमांक: प्रशि./जनप्र/2013/576 दिनांक : 20/9/13 की 10 प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राज्य के प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति के राज्य के सभी संस्करणों में शीघ्र प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।

संलग्न- दस।

(कन्हैया लाल स्वामी)  
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/2013/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. जिला पुलिस कमीश्नर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तैनात कराने का श्रम करे।
6. थाना अधिकारी, पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तैनात कराने का श्रम करे।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर चल शौचालय की व्यवस्था करावें।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व की भांति काउंसलिंग से संबंधित टेन्ट, कुर्सी, पानी, माईक आदि का पूर्ण इन्तजाम किया जाना सुनिश्चित करे।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त काउंसलिंग के आशय के समाचार का प्रेस नोट समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में किये गये संशोधन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
11. सचिव, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैंडरेशन, ई-277 लालकोठी स्कीम, जयपुर।
12. रक्षित/आदेश पत्रावली।

(कन्हैया लाल स्वामी)  
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2013/ 516

दिनांक : 20/9/13

- विज्ञप्ति -

**जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स 2013-14 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम**

इस निदेशालय की प्रवेश विज्ञप्ति क्रमांक: प्रशि./जनप्र/2013/348 दिनांक 26.06.2013 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जांच एवं इस परिपेक्ष्य में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण पश्चात् आरक्षण की श्रेणीवार राज्य स्तरीय वरियता के आधार पर राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स जिनकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, में प्रवेश हेतु कम्प्युटराईज्ड काउंसलिंग के लिये निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों का अपने मूल दस्तावेजों तथा राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु रू0 180/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु रू0 10,000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के नाम पर देय हो सहित प्रशिक्षण केन्द्र आंक्टन हेतु चयन समिति के सम्मुख राजस्थान नर्सिंग कौंसिल भवन, बी-39 सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

**राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु**

क्र.स.	श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक
1.	महिला व पुरुष विकलांग एवं विभागीय सेवारत कर्मचारी	बायलोजी विषय ग्रुप एवं अन्य विषय ग्रुप में अ.जा./ अ.ज.जा./टीएसपी-एससी/टीएसपी-एसटी/सहरिया 35.00 प्रतिशत तथा सामान्य/ओबीसी/एसबीसी क्षेत्र के 40.00 प्रतिशत तक प्राप्तांकों के समस्त विकलांग/सेवारत महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी	25.09.2013 प्रातः 9:00 बजे
2.	सामान्य महिला अजा./अजजा./टीएसपी - एससी /टीएसपी - एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. एवं सामान्य	बायलोजी विषय ग्रुप 75.200 प्राप्तांक प्रतिशत तक के अजा./अजजा./ टीएसपी -एससी /टीएसपी - एसटी / सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी।	25.09.2013 सांय 2:00 बजे
3.	सामान्य महिला अजा./अजजा./टीएसपी - एससी /टीएसपी - एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. एवं सामान्य	1. बायलोजी विषय ग्रुप 71.200 प्राप्तांक प्रतिशत तक के अजा./अजजा./ टीएसपी - एससी /टीएसपी - एसटी/सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी। 2. बायलोजी विषय ग्रुप 68.800 प्राप्तांक प्रतिशत तक के अजा./अजजा./ टीएसपी - एससी /टीएसपी - एसटी/सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी।	26.09.2013 प्रातः 9:00 बजे,  26.09.2013 सांय 2:00 बजे
4.	अजजा.महिला (जन जातिय उपयोजना क्षेत्र सहित) एवं एसटी - टीएसपी/सहरिया सहित	1. बायलोजी विषय ग्रुप 54.200 प्रतिशत तक के समस्त अजजा. (टीएसपी सहित) महिला अभ्यर्थी तथा बायलोजी विषय ग्रुप 35.00 प्रतिशत तक प्राप्तांको की समस्त टीएसपी-एसटी/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी।	27.09.2013 प्रातः 9:00 बजे
4.	महिला ओबीसी/एसबीसी	बायलोजी विषय ग्रुप 64.200 प्राप्तांक प्रतिशत तक ओबीसी/एसबीसी महिला अभ्यर्थी तथा बायलोजी विषय ग्रुप 59.400 प्राप्तांक प्रतिशत तक के एसबीसी महिला अभ्यर्थी।	27.09.2013 सांय 2:00 बजे
5.	अजा.महिला (एससी/एससी-टीएसपी सहित) तथा एससी - टीएसपी महिला	बायलोजी विषय ग्रुप 59.385 प्राप्तांक प्रतिशत तक एससी/एससी- टीएसपी सहित तथा बायलोजी विषय ग्रुप 53.600 प्राप्तांक प्रतिशत तक के अजा. टीएसपी महिला अभ्यर्थी।	28.09.213 प्रातः 9:00 बजे



6.	एसटी महिला एसटी/(एसटी- टीएसपी)/सहरिया सहित	1. अन्य विषय ग्रुप 51.231 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी/एसटी-टीएसपी/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी। 2. अन्य विषय ग्रुप 47.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी/एसटी-टीएसपी/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी।	08.10.2013, प्रातः 9:00 बजे  08.10.2013, सांय 2:00 बजे
7.	एसटी-टीएसपी महिला/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी	1. अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी-टीएसपी महिला/सहरिया सहित महिला अभ्यर्थी। 2. अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एससी/एससी-टीएसपी महिला अभ्यर्थी।	09.10.2013 प्रातः 9:00 बजे  09.10.2013, सांय 2:00 बजे
8.	ओबीसी महिला ओबीसी/एसबीसी सहित	अन्य विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के ओबीसी/एसबीसी सहित महिला अभ्यर्थी।	10.10.2013, प्रातः 9:00 बजे
9.	सामान्य पुरुष अजा./अजजा./ टीएसपी - एससी /टीएसपी - एसटी/सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य	बायलोजी विषय ग्रुप 68.800 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजा./अजजा./टीएसपी-एससी/टीएसपी-एसटी/ सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य पुरुष अभ्यर्थी।	10.10.2013, सांय 2:00 बजे
10.	सामान्य पुरुष अजा./अजजा./ टीएसपी - एससी /टीएसपी - एसटी/सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य	बायलोजी विषय ग्रुप 65.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजा./अजजा./टीएसपी-एससी/टीएसपी-एसटी/ सहरिया/ अपिव./विपिव. एवं सामान्य पुरुष अभ्यर्थी।	11.10.2013, प्रातः 9:00 बजे
11.	अजा.पुरुष (एसटी-टीएसपी सहित)	बायलोजी विषय ग्रुप 59.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एससी/एससी-टीएसपी सहित पुरुष अभ्यर्थी।	11.10.2013, प्रातः 9:00 बजे
12.	अजा.पुरुष एससी (टीएसपी)	बायलोजी विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एससी (टीएसपी) पुरुष अभ्यर्थी।	11.10.2013, सांय: 2:00 बजे
13.	एसटी पुरुष एसटी/एसटी- टीएसपी/सहरिया सहित	बायलोजी विषय ग्रुप 55.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी/एसटी-टीएसपी/ सहरिया सहित पुरुष अभ्यर्थी।	14.10.2013, प्रातः 9:00 बजे
14.	एसटी(टीएसपी) पुरुष	बायलोजी विषय ग्रुप 53.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के एसटी(टीएसपी) पुरुष अभ्यर्थी।	14.10.2013, प्रातः 9:00 बजे
15.	अपिव.पुरुष विपिव. सहित	बायलोजी विषय ग्रुप 60.800 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अपिव./विपिव सहित पुरुष अभ्यर्थी।	14.10.2013, सांय 2:00 बजे
16.	विशेष पिछडा वर्ग	बायलोजी विषय ग्रुप 58.400 प्रतिशत तक प्राप्तांको के विशेष पिछडा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी।	14.10.2013, सांय 2:00 बजे

40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता प्राप्त अभ्यर्थी (वन लेग अर्थात् केवल एक पैर से निःशक्त) ही पात्र है। अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी के प्रकरण में पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा, पति के नाम का नहीं।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित रू० शुल्क अग्रिम रूप में 180/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को शुल्क अग्रिम रूप में निर्धारित रू० 10,000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के नाम देय होंगे, के साथ मौके पर अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निजी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए फीस राशि 38,000 /- रू. में से शेष राशि 28,000 /- रू. प्रवेशित संस्थान पर अभ्यर्थी को उपस्थिति देते समय अपने मूल जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता (सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका), जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण एवं इनकी छाया प्रति एक सेट स्व-हस्ताक्षरित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु जमा करवाने अनिवार्य होंगे।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशिक/दिशा निर्देशों में जिन शिक्षा बोर्ड/संस्थान/परीक्षा को समकक्ष मान्यता नहीं है, ऐसे शिक्षा बोर्ड/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं हैं। इसलिये काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे।

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटों की संख्या के (राजकीय/निजी में 3 गुणा) अभ्यर्थियों को उक्त काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है, अतः आवश्यक नहीं है कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों का चयन संभव हो। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की किसी श्रेणी/वर्ग में सीटें भरते ही या अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु काउंसलिंग शुरू कर दी जावेगी। काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

काउंसलिंग की निर्धारित तिथि व समय पर किसी भी कारण से नहीं पहुँच पाने वाले अभ्यर्थी शीघ्र संभव समय व तिथि पर काउंसलिंग स्थल पर पहुँच कर रिपोर्ट करेंगे एवं उस समय उपलब्ध सीटें आवंटित करा सकेंगे।



(कन्हैया लाल स्वामी)

अति० निदेशक (प्रशा.),

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज. जयपुर